"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर को केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के कार्यभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2006) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक ई-1-19/2011/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 आवंटन वर्ष के श्री राजेश सिंह राणा को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600) में पदोन्नत किया जाता है.

2. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से अर्थात् दिनांक 30-06-2016 से देय होगा तथा वे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बालोद के पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्रमांक ई-1-18/2015/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 आवंटन वर्ष के श्री अभिजीत सिंह एवं श्री शिव अनन्त तायल को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 एवं ग्रेड पे रु. 6600) में पदोन्नत किया जाता है.

2. श्री अभिजीत सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव एवं श्री शिव अनन्त तायल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से अर्थात दिनांक 24-05-2016 से देय होगा तथा अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वे अपने वर्तमान पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्रमांक ई 7-22/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 (1) के प्रावधान अनुसार श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. को ऑनलाईन आदेश दिनांक 23-06-2016 द्वारा दिनांक 29-06-2016 से 08-07-2016 तक (10 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश (दिनांक 09 एवं 10 जुलाई, 2016 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्रमांक 834/729/अव./2010/1-8/स्था.—श्री अरज लाल, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरज लाल आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरज लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरज लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक एफ 10-15/अव./2015/1-8/स्था.—श्री आर. के. टंडन, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 20-05-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 14, 15, 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टंडन आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. के. टंडन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टंडन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2016

क्रमांक 766/49/अव./2015/1-8/स्था.—श्री फरदी केरकेट्टा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 09-05-2016 से 20-05-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 08, 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री फरदी केरकेट्टा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री फरदी केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फरदी केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 768/2748/अव./2015/1-8/स्था.—श्री नीरज कुमार मिश्रा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 12-05-2016 से 20-05-2016 तक 09 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार मिश्रा आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 768(क)/742/अव./2015/1-8/स्था.—श्री राजीव अहिरे, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 24-05-2016 से 02-06-2016 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजीव अहिरे आगामी आदेश तक स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजीव अहिरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव अहिरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 770/31/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 04-06-2016 तक 20 दिवस का (दिनांक 14, 15-05-2016 एवं 05-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एमरेंसिया खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 772/1190/अव./2016/1-8/स्था.—श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सचिव, कृषि एवं पशुधन विकास विभाग को दिनांक 07-05-2016 से 13-05-2016 तक 07 दिवस का (दिनांक 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव आगामी आदेश तक सचिव, कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 774/332/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 31-05-2016 तक 16 दिवस का (दिनांक 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक आगामी आदेश तक उप सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती अमृता बेक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—श्री यशवंत कुमार (भा.प्र.से.), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें के दिनांक 21-07-2016 से 26-07-2016 तक अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप इस अवधि के लिए श्री डी.डी. महंत, उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, नया रायपुर का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

2. उक्त हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. डी. महंत को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58(1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त की जाती है.

3. श्री यशवंत कुमार, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें के अर्जित अवकाश अवधि के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस आदेश का प्रभाव स्वयंमेव समाप्त माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 19-19/2014/25-2.—वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 83 (4) (सी) में निहित प्रावधान के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शकील अहमद, शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक, जगदलपुर को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण, रायपुर के सदस्य के पद पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 9 मई 2016

क्रमांक/773/भू-अर्जन/प्र.क्र.-01अ/82, वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	नवागांव प.ह.नं. 18	1.37	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	झिरिया जलाशय योजना हेतु नहर निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक/967/भू-अर्जन/प्र.क्र.-02 अ/82, वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	झिरिया प.ह.नं. 19	7.54	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	झिरिया जलाशय योजना हेतु नहर निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/65/भू-अर्जन/प्र.क्र.-07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	चंदलीडीह	0.697	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय योजना के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/65/भू-अर्जन/प्र.क्र.-12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	साल्हेवना	1.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	चारभाठा जलाशय योजना के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/65/भू-अर्जन/प्र.क्र.-21/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	टुण्डरी प.ह.नं. 01	0.519	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रा.गंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक/3789/भू-अर्जन/कले./01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा)की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर रा.गंज	राजपुर	ओकरा प.ह.नं. 17	3.537	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर.	गेउर व्यपवर्तन योजना के ग्राम ओकरा नहर नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजपुर मुख्यालय के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक 757/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सोनपैरी	384/1	0.06	लोक प्रयोजन हेतु छतौना-कुटेसर-दरबा-बडगांव कुण्डा-नारा लखोली मार्ग चौड़ीकरण.
			380	0.02	
			378	0.02	
			376/2	0.01	
			376/1	0.01	
			375	0.04	
			369/1	0.04	
			369/2	0.06	
		योग		**0.26**	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-08-2016 को (समय) 11.00 बजे स्थान दरबा ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोक प्रयोजन हेतु छतौना-दरबा-कुटेसर बडगांव कुण्डा-नारा-लखोली मार्ग चौड़ीकरण.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 08
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. — हां.
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 2886.23 लाख

9. परियोजना से होने वाला लाभ — सुगम एवं सीधा यातायात

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — रु. 5.00 लाख

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक 759/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अकोलीकला	373/3	0.02	लोक प्रयोजन हेतु आरंग-कलई-खमतराई-अकोलीकला मार्ग चौड़ीकरण.
		प.ह.नं. 52	650	0.01	
		योग	**2**	**0.03**	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 01-09-2016 को (समय) 11.00 बजे स्थान अकोलीकला ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — आरंग-कलई-खमतराई-अकोलीकला मार्ग चौड़ीकरण

2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02

3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. — हां.

8. परियोजना की कुल लागत — रु. 1219.80 लाख

9. परियोजना से होने वाला लाभ — सुगम एवं सीधा यातायात

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — रु. 5.00 लाख

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक 761/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	दरबा	484	0.004	लोक प्रयोजन हेतु छतौना-दरबा-कुटेसर बडगांव कुण्डा-नारा लखोली मार्ग चौड़ीकरण.
			486	0.0062	
			489	0.0068	
			176	0.052	
			518	0.0768	
			173	0.0792	
			525	0.042	
			522/1	0.2232	
			योग	**0.4902**	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-08-2016 को (समय) प्रातः 11.00 बजे स्थान दरबा ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — छतौना-दरबा-कुटेसर बडगांव, कुण्डा-नारा-लखोली मार्ग चौड़ीकरण

2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 08

3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां.
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2886.23 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सुगम एवं सीधा यातायात
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्रमांक 32/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ादमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.274 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/81	0.971
4/144	0.405
157/5	0.971
519	0.324
4/110	0.243
4/31	1.607
4/39	0.046
4/7	0.534
176/7	0.709
521	0.202
4/46	0.607
4/136	2.023
4/47	0.099
4/20	0.251
176/3	0.721
522	0.405
140/34	0.061
4/49	0.607
161/65	0.129

	(1)	(2)
	520/1	1.327
	157/29	0.178
	161/4	0.405
	4/48	0.928
	161/106	0.101
	520/2	0.494
	157/39	0.121
	161/6	0.101
	4/117	0.324
	4/26	0.323
	524	0.141
	157/55	0.283
	523/1	0.125
	4/115	0.534
	161/3	3.246
	513	0.129
	4/107	0.364
	157/56	0.235
योग		20.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2016

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भगवानपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/2	0.101
योग	1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सुकमा, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक/906/01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सुकमा
- (ख) तहसील-सुकमा
- (ग) नगर/ग्राम-गादीरास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1993/1	0.060
1981/2	0.090
1980/2	0.480
1979	0.110
3261/5	0.050
3325/1	0.410
3325/3 क	0.280
3325/2	0.230
1978	0.032
3324	0.480
3321/4	0.150
3261/4	0.042
3321/5	0.050
3261/1	0.080
3320/1 क	0.210
3320/3	0.135
3060/2	0.140
3270/2	0.140
3273/2	0.130
3320/2	0.540
3360/1	0.165
3273/1	0.080
3370/1	0.250
3274	0.240
3361	0.090
3362	0.393
3363	0.295
3365	0.325
3364	0.030
3366	0.085
3375/2	0.120
3375/1 क	0.325
3283/1	0.136
3289/1	0.092
3284/1	0.285
3282	0.120
3281	0.060
3269/2	0.125
3261/2	0.090
3261/3	0.075
3260/1	0.010
3414/13	0.020
3260/2	0.020
3262/2	0.202
3414/6	0.080

(1)	(2)
3414/9	0.060
3414/10	0.060
3414/11	0.050
3414/12	0.020
3417/1 ग	0.101
3417/1 घ	0.050
3419	0.085
3417/1 क	0.300
3417/1 ख	0.100
3420/1	0.110
3423	0.340
3424	0.012
3425/1	0.270
3425/2	0.070
3425/3	0.080
3470/2	0.190
3465/2 क	0.125
3470/3	0.300
3447/3	0.102
3467/1	0.760
3463/1	0.096
3463/2	0.160
3464	0.320
3454/2	0.140
3460/1	0.096
3460/2	0.008
3456	0.134
3455/1	0.060
3453	0.060
3450	0.180
3470/1	0.030
3454/1	0.278
3455/3	0.080
1992/1	0.020
1991/2 क	0.092
योग 80	12.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मलेन्जर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

रा.प्र. क्रमांक-01/अ-82/2014-15

क्रमांक 541/अ.वि.अ./2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तिरिया, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम नगरनार, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर तक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	धनपूंजी	504/1	0.12
		प.ह.नं.-28	528/1	0.07
			528/2	0.06
			531	0.08
		योग	**4**	**0.33**

एस. आर. कुर्रे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 04 अप्रैल, 2016

क्रमांक 216/सा.लि./2016.—दुर्ग जिले में समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति, समूह, विभिन्न मांगों को लेकर स्थल निश्चित नहीं होने के कारण यत्र-तत्र धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे आमजन सहित अन्य सभी को असुविधा होती है. कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में भी बाधा उत्पन्न होती है.

अत: जिले में शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था बनाये रखने, सर्वजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग के सामने रिक्त स्थान को धरना प्रदर्शन हेतु नियत किया जाता है. भविष्य में आयोजित होने वाले सभी धरना प्रदर्शन इसी स्थल पर किए जाएंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आर. संगीता,
जिला-दंडाधिकारी.